राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

<u>रबी विपणन वर्ष 2018–19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद</u>

किसान ई–मित्र पर ई–रजिस्ट्रेशन करवाएं

जयपुर, 8 फरवरी। रबी विपणन वर्ष 2018–19 के दौरान प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की शासन सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम को गेहूं बेचने वाले प्रदेश के उत्सुक किसान ई–मित्र एवं वेबपोर्टल पर जाकर ई–रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें।

शासन सचिवालय में गुरूवार को भारतीय खाद्य निगम, तिलम संघ, राजफेड, कृषि, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम के अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा के दौरान खाद्य सचिव ने बताया कि आपसी समन्वय के साथ किसानों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रजिस्ट्रेशन फार्म का सरलीकरण कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन फार्म में किसान का स्वयं का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, पैन नम्बर एवं उनके बैंक अकाउंट की सम्पूर्ण डिटेल दी गयी है, जिसे किसान स्वयं भी आसानी से भरकर जमा करा सकते हैं। वहीं भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों के खाते में गेहूं बेचने की राशि डायरेक्ट उनके अकाउंट में ऑनलाइन पहुंचा दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2018–19 में गेहूं की खरीद के संबंध में समस्त संस्थाओं द्वारा कय केन्द्रों पर गेहूं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रशिक्षित सर्वेयर की व्यवस्था प्रत्येक केन्द्र एवं गोदाम पर की गयी है, जिससे किसानों को त्वरित गति से भुगतान संभव हो सकेगा। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, तिलम संघ एवं राजफेड द्वारा अपने–अपने कय केन्द्रों पर वेब कैमरा, विडियोग्राफी एवं केन्द्रीय बजट उपरांत खरीद के बढने संभावना के मध्यनजर भण्डारण, गनी बैग्स, समयपूर्व परिवहन व हैंडलिंग से संबंधित निविदा, भुगतान प्रकिया संबंधी समस्त कार्य की सम्पूर्ण व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी शुरू किया गया है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 18.00 लाख मै. टन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की संभावना है और बोए गए रकबे के हिसाब से इस बार उत्पादन लगभग 108 लाख मै. टन होने का अनुमान है।

खाद्य सचिव ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोटा संभाग में 15 फरवरी से 15 मार्च एवं अन्य संभागों में 1 मार्च से 31 मार्च तक किसानों को ई–प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर की प्रणाली एवं कियान्वयन से अवगत करवाये जाने हेतु प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि गेहूं की खरीद के लिए राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास 4.09 लाख मै. टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। भण्डारण क्षमता की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम व राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से गोदाम किराये पर लेकर पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी।

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

रबी विपणन वर्ष 2018–19

न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1735 प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद होगी

जयपुर, 15 मार्च। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा गेहूं क्रय करने हेतु जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1735/–प्रति क्विंटल पर खरीद करने का लक्ष्य रखा है।

राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के महाप्रबन्धक (वित्त) श्री उम्मेद सिंह ने बताया कि कोटा सम्भाग में 15 मार्च,2018 से तथा शेष सम्भागों में 01 अप्रेल,2018 से गेहूं क्रय करना प्रारम्भ होगा। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल वार्षिक आवश्यकता 27.00 लाख मै.टन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017–18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1625/–प्रति क्विंटल निर्धारित पर 12.45 लाख मै.टन की खरीद हुई थी। वर्ष 2018–19 में अनुमानित खरीद लगभग 17.50 लाख मै.टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महाप्रबन्धक (वित्त) ने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए इस वर्ष गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण दोनों माध्यमों यथा– ऑनलाईन/ऑफलाईन की व्यवस्था की गई है। साथ ही क्रय केन्द्रों पर पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सभी केन्द्रों पर विडियोग्राफी की व्यवस्था की जायेगी।

श्री सिंह ने बताया कि गेहूं क्रय हेतु एफ.सी.आई., राजफैड तथा तिलम–संघ को खरीद एजेंसी बनाया गया है। गेहूं क्रय हेतु प्रदेश में कुल 268 केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इनमें से एफ.सी.आई. 153, राजफैड 102 तथा तिलम–संघ 13 केन्द्रों पर गेहूं क्रय करेगी। उन्होंने जानकारी दी कि स्थानीय स्तर पर परिवहन, हेंडलिंग एवं संग्रहण हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में खरीद एजेंसी का जिले में वरिष्ठतम अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, कोषाधिकारी एवं संबंधित सचिव, कृषि उपज मण्डी को रखा गया है। रबी विपणन 2018–19 हेतु सम्पूर्ण पर्यवेक्षणीय दायित्त्व संबंधित जिला कलक्टर को दिया गया है।

महाप्रबन्धक (वित्त) ने बताया कि क्रय केन्द्रों पर गेहूं की गुणवत्ता निर्धारित हेतु संबंधित सचिव, कृषि उपज मण्डी/कृषि पर्यवेक्षकों को लगाया है तथा किसानों को समय पर जमाबंदी/गिरदावरी उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला कलक्टर के माध्यम से पटवारियों को निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं भण्डारण हेतु क्रय केन्द्रों एवं गोदामों की मेपिंग की व्यवस्था की गई है ताकि गेहूं तत्काल गोदामों में भिजवाया जा सके। इसके साथ ही किसानों को अधिकतम 48 घन्टे में उनके बैंक खाते में भुगतान करने हेतु क्रय संस्थाओं को निर्देशित कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

<u>रबी विपणन वर्ष 2018–19</u>

प्रदेश में 236 क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद
–खाद्य मंत्री

जयपुर, 3 अप्रैल। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए रबी विपणन वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा गेहूं क्रय करने हेतु जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य रूपये 1735/–प्रति क्विंटल पर 236 क्रय केन्द्रों के माध्यम से खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बाबूलाल वर्मा ने बताया कि राज्य में कोटा सम्भाग (15 मार्च, 2018 से) के बाद अब समस्त राज्य में 1 अप्रैल, 2018 से गेहूं क्रय करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा 129 केन्द्रों पर खरीद की जा रही है और साथ ही राजफैड को 95 तथा तिलम संघ के 12 क्रय केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं।

श्री वर्मा ने बताया कि सभी 236 क्रय केन्द्रों पर पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सभी केन्द्रों पर विडियोग्राफी की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं तथा अन्य सभी सुविधाएं जैसे छाया, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी की गई है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण दोनों माध्यमों यथा– ऑनलाईन/ऑफलाईन की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें किसान अपनी सुविधा के अनुसार पंजीयन कराकर अपने मनचाहे केन्द्रों पर अपनी गेहूं की फसल विक्रय कर सकता है।

––––